न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2921–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–5–2013 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला सतना म.प्र. प्रकरण कमांक 76/अपील/12–13.

———

रामकिशोर तनय स्व. केदार प्रसाद
निवासी ग्राम सगोनी थाना व तह. रामपुर बघेलान
जिला सतना म.प्र. ———— आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती वसिरिया बेवा पत्नी स्व. लाल मोहम्मद खान,
निवासी ग्राम सगोनी थाना तह. रामपुर बघेलान,
जिला सतना म.प्र. ———— अनावेदक

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता, श्री धर्माचार्य पाण्डेय ।
अनावेदक की ओर से अधिवकता श्री राजेन्द्र सिंह ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 14-06-2016 को पारित)

———

यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सतना द्वारा प्रकरण कमांक 76/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 21–5–13 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष म.प्र. वास स्थान दखलार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना) अधिनियम, 1980 की धारा 5 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मांग की गई कि आवेदक के स्वामित्व की भूमि सर्वे नं. 445 के अंश रकबा 0.32 डि0 में 1980 के पूर्व से मकान बनाकर निवासरत है तथा उसके पास इसके अलावा अन्य कोई मकान व भूमि नहीं है. अतः भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किया जाये । विचारण न्यायालय ने आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत आदेश दिनांक 8–2–13 द्वारा उसे उक्त अधिनियम की धारा 5 के

तहत प्रश्नाधीन आराजी के रकबा 0.10 डि0 को अनावेदक क. 1 के नाम पर भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज करने सहित प्रारूप "ग" में घोषणा जारी किए जाने का आदेश दिया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर कलेक्टर इस के इस आदेश के विरूद्ध पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मोखिक तथा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध एवं अनुचित होकर त्रुटिपूर्ण है । विचारण न्यायालय द्वारा कोई स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है । अनावेदक का अनावेदिका का मकान 1 डि0 पर बना है । 0.32 एकड़ में निर्मित होने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले पटवारी का प्रतिपरीक्षण नहीं कराया गया । विचारण न्यायालय ने किस आधार पर अनावेदिका का मकान 10 डि0 पर माना है इसकी कोई जांच नहीं कराई गई है । आवेदक द्वारा एक आवेदन अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 जा.दी. का प्रस्तुत कर पटवारी के प्रतिवेदन को गलत होने का दिया था जिस पर कोई विचार नहीं किया गया ।

आवेदक की ओर से यह तर्क भी दिया गया है कि वह अधीनस्थ न्यायालयों से अनुरोध करता रहा है कि उसकी विवादित भूमि के एक साइड में तीनों को उतनी भूमि प्रदान करदी जाये जितनी भूमि में तीनों अनावेदकों के मकान बने हैं किंतु इस पर किसी ने गौर नहीं किया । उसके द्वारा लिखित बहस में यह भी कहा गया कि विवादित भूमि के उत्तरी पूर्वी भाग की भूमि अनावेदक को प्रदान कराई जावे ताकि आवेदक की भूमि पर अनावेदक तीन ओर से हस्तक्षेप न करें ।

4– अनावेदक कमांक 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण आलोच्य भूमि के पर भूमिस्वामी स्वत्व दिए जाने के संबंध में है जो म0प्र0 वास स्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1980 की धारा 5 के अंतर्गत होकर विचारण न्यायालय द्वारा मौके की जांच पटवारी के माध्यम से कराई गई है तथा स्वयं भी स्थल निरीक्षण किया है तथा यह पाया है कि अनावेदक के नाम कोई मकान या भूमि नहीं होने तथा उसके प्रश्नाधीन स्थल पर

मकान बनाकर निवास रत है । प्रकरण में इश्तहार का प्रकाशन कराया गया है तथा आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर दिया गया है और समस्त परीक्षण तथा अनावेदक क 1 का नाम प्रश्नाधीन रकबे पर दर्ज करने के आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिए गए हैं । इस आदेश की पुष्टि आलोच्य आदेश द्वारा अपर कलेक्टर, जिला सतना द्वारा की गई है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए इस प्रकारण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं वे विधिसम्मत, उचित और न्यायिक हैं और उनमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है, जिस कारण उनमें हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर